Science Education, and Pre-Vocational Training, for the welfare of children, and nursing and expectant mothers.]

बाल-अपचार और आवारागर्दी

67. **श्री भगवत नारायण भार्गव** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले नौ महीनों में उनके मंत्रालय ने बाल-आवारागर्दी और बाल-अपचार के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यक्रम कहां कहां चलाये ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई नया कानून बनाने का विचार है अथवा क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रकार का कानून बनाने की कोई सलाह दी है ?

†[JUVENILE VAGRANCY AND DELINQUENCY

67. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of SOCIAL SECURITY be pleased to state:

(a) the details of the programmes carried out by his Department in connection with the eradication of juvenile vagrancy and juvenile delinquency during the last nine months and the names of the places where these programmes were carried out; and

(b) whether any new law is proposed to be enacted in this connection or whether any advice has been given by the Central Government to the State Governments for the introduction of such legislation?]

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) बाल-आवारागर्दी और बाल-अपचार के कार्यक्रम लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तो भी, भारत सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता और प्राविधिक मार्गदर्शन देती है।

समीक्षाधीन काल में विभिन्न राज्य सरकारों आदि ने निम्नलिखित कार्यवाहियों की सूचना दी है :—

(1) **संस्थानिक सेवाएं**.— उत्तर प्रदेश में तीन प्रतिप्रेषण गृह और तीन बाल-न्यायालय, महाराष्ट्र में दो प्रतिप्रेषण गृह और बिहार में एक बाल भवन स्थापित किए गए हैं।

(2) **असंस्थानिक सेवाएं**.— भीख मांगते हुए पाये गये बच्चों के प्रशिक्षण और पुनर्समंजन के लिए असंस्थानिक सेवाएं दिये जाने की योजना के अधीन बम्बई और सिकन्द्राबाद में एकक स्थापित किये गये हैं और हैदराबाद में पहले स्थापित किये गये एकक को शक्तिशाली बना दिया गया है।

(ख) इस विषय पर कोई केन्द्रीय विधि बनाने का प्रस्ताव नहीं है। तो भी, भारत सरकार उन सरकारों को, जहां इस प्रकार की विधि नहीं है, बाल अधिनियम, 1960 के समान विधि अधिनियमित करने की सलाह देती रहती है। बाल अधिनियम, 1960 केवल संघ राज्य-क्षेत्रों में लागू है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI JAGANNATH RAO): (a) The implementation of the programmes for the eradication of juvenile vagrancy and juvenile delinquency is the responsibility of the State Governments.

†[ ] English translation.

The Government of India, however, provide financial assistance and technical guidance to the State Governments.

The following activities have been reported by the various States Governments etc., during the period under review:—

(i) *Institutional Services*.—Three Remand Homes and three Juvenile Courts in U.P., two Remand Homes in Maharashtra and one Children's Home in Bihar have been set up.

(ii) *Non-Institutional Services*.—Under the scheme of providing non-institutional services for the training and re-adjustment of children found begging, units have been set up at Bombay and Secundrabad and the unit set up earlier at Hyderabad has been strengthened.

(b) There is no proposal to promote any Central legislation on the subject. The Government of India have, however, been advising those States where there is no such legislation to enact legislation on the lines of the Children Act, 1960 which is applicable to the Union Territories only.

खानाबदोश बंजारा लोगों का पुनर्वास

68. **श्री भगवत नारायण भार्गव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खानाबदोश बंजारा लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर द्वारा बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†[REHABILITATION OF NOMAD BANJARA GROUP

68. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state the details of the scheme formulated by the Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur for the rehabilitation of the Nomad Banjara Group and the action taken by Government thereon?]

†[ ] English translation.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर द्वारा तैयार की गई योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(क) बंजारों को विभिन्न गांवों में टाण्डावार बसाया जाना चाहिये। प्रत्येक टाण्डे के व्यक्तियों में आपस में घनिष्ट सम्बन्ध होता है और एक टाण्डे में लगभग 15 परिवार शामिल होते हैं।

(ख) प्रत्येक परिवार को संयुक्त रूप से 20 एकड़ भूमि और अच्छी नस्ल के दूध देने वाले 5 पशु दिये जाने चाहिये और उन्हें साझी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(ग) बंजारों को पुनर्वास-अनुदान, उपदान व ऋण दिये जाने चाहिये ताकि वे लोग अवकाश के ऋतु में ट्रकों द्वारा नमक के अपने परम्परागत व्यवसाय को जारी रख सकें।

(घ) पुनर्वास योजना पंचायत समितियों के अधीन होनी चाहियें और उन पंचायत समितियों के पृथक पृथक ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता होने चाहियें। बंजारों के मौजूदा प्रशासन संगठन को छिन्न भिन्न न होने दिया जाए, अपितु उससे पूरा पूरा लाभ उठाया जाए।

२. योजना कार्यवाही के लिए राजस्थान सरकार के पास भेजी गई थी। राज्य सरकार ने इसे कार्य रूप देना है।